अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अभिलेख वाद संख्या– 16 /2016–17

वाद का प्रकार :–छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63A के तहत जॉच एंव कारवाई से संबंधित

23/11/16 छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63A के तहत जॉच के क्रम में हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया हैं, कि मौजा गोलाटांड थाना सं0 89 खाता सख्या 95 प्लॉट सं0 581 रकवा 1.00 ~~एकड़~~ की भूमि जो गैर आबाद खाते से संबंधित हैं, जिसकी जमाबंदी पंजी II में जमाबंदी संख्या 476 पर जमाबंदी रैयत दुलका दास पिता/पति दुई दास ग्राम गोलाटांड के नाम से बन्दोवस्ती वाद सं0 103/88-89 के द्वारा कायम है परन्तु बन्दोवस्ती के 28 वर्षो के पश्चात भी जमाबंदीदार के द्वारा जमीन पर जोत आबाद नहीं किया गया हैं और न ही जमीन पर दखल संबंधी कोई साक्ष्य मिलता है।

अतएव संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिश निर्गत करते हुए उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजो निर्गत लगान रसीद की मांग करे तथा कारण पृच्छा करे कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63–A

के तहत उपायुक्त महोदय, धनबाद को रद्द करने हेतू अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 10.12.16 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

[illegible]-12-16 अभिलेख उपस्थापित। नोटिस का तामिला प्राप्त है। विपक्षी उपस्थित नहीं हुए।

हल्का कर्मचारी एंव अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन देखा विपक्षी के द्वारा दिये गये कागजातो का अवलोकन किया, दिये गये कागजात के आधार पर मैंने स्वंय जॉच किया, विपक्षी का जमीन पर दखल कब्जा नहीं पाया, जमीन सरकार द्वारा बन्दोवस्त हैं और बन्दोवस्ती के प्रावधानों के अनुसार विपक्षी को इस जमीन पर पॉच वर्षो के अन्दर जोत–आबाद (कृषि या बागवानी) कर लेना चाहिए था परन्तु 28 वर्षो के बीत जाने के पश्चात भी विपक्षी के द्वारा जमीन का आबाद नहीं किया जा सका है।

अतः छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–63A तहत विपक्षी के नाम से की गई बन्दोवस्ती को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है।

अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, धनबाद को भेजे।

10/12/16

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

[illegible]/1/17 अभिलेख आज उपस्थापित। अभिलेख अंचल अधिकारी, गोविन्दपुर से प्राप्त है। जमाबंदी-धारक को नोटिस निर्गत करें एवं अगली तिथि 31/1/17 को प्रस्तुत करें।

[illegible]

[illegible]/1/17 अभिलेख आज उपस्थापित। नोटिस [illegible] अभिलेख पर प्राप्त है। [illegible] पत्रांक 101 दिनांक 23/1/2017 द्वारा सूचित किया है कि संबंधित व्यक्ति नोटिस में उल्लेखित पते पर निवास नहीं [illegible]। जमाबंदीधारक को पुनः [illegible] एवं अभिलेख दिनांक 28/2/2017 को प्रस्तुत करें।

[illegible]